संख्या-73/2017-837/नौ-5-2017-175बजट/2011

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियंता, बैराज निर्माण खण्ड-2, सिचाई विभाग, कानपुर के पत्र संख्या-265/बै0नि0ख02का/निक्षेप गं0बै0अन0 दिनांक 31.01.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रावधानित धनराशि **रू. 330.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू. 165.00 लाख (रू. एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित कार्यो एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, नगरीय निकाय के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं -:

क्रम सं0	मद
1	गेटों के रख-रखाव, मरम्मत/पहियों को बदलना, गाइड रोलर्स, रोपस, सीलस, गेटों की पेन्टिंग, आपरेटिंग प्लेटफार्म, सुपरस्ट्रक्चर एवं बैलेन्स बाक्स इत्यादि
2	बिजली बिल 150 के.वी.ए. इलेक्ट्रिक कनेक्शन
3	वेयरिंग कोट व फर्श, लांचिग अप्रंग सी.सी.ब्लाक्स की बाढ़ के कारण मरम्मत
4	मार्जिनल बन्ध, एफलेक्स बन्ध, गाइड बन्ध की मरम्मत
5	लाइट फिटिंग व इलेक्ट्रिक लाइट की मरम्मत
6	नालों की सफाई एवं रख-रखाव
7	रिजर्वायर एरिया में जलकुम्भी की सफाई
8	बैराज के ऊपर पुल का रख-रखाव
9	सिक्योरिटी स्टाफ एवं गनर, गार्डस दो जगहों पर प्रत्येक शिफट के लिए तथा सामान्य सुरक्षा हेतु दो गार्ड प्रत्येक शिफट के लिए
10	साइट आफिस एवं कन्ट्रोल रूम के रख-रखाव
11	बिल्डिंग मेन्टीनेन्स-अनावासीय आफिस, फील्ड हास्टल, आवासीय भवनों का रख-रखाव, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति(विद्युत देयों को शामिल करते हुए) सेनिटेशन
12	अधिष्ठान व्यय

1. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए अधिशासी अभियंता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत की गयी धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यो पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यो पर व्यय नहीं की जायेगी।

4. व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ.प्र.शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-04-गंगा बैराज, कानपुर-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-455/दस-2017 दिनांक 22 मार्च,2017 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

<u>संख्या-73/2017/837(1)/नौ-5-2017-175बजट/2011, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. मुख्य अभियंता (राम गंगा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 98-कैनाल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
9. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. सुपर यूजर नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।